



कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा

Email : cfkumaon_north@rediffmail.com . ☎ (05962) 231099 Fax : 230397

पत्रांक - 819 / 12-1-01 अल्मोड़ा, दिनांक - 20-09-2023.



सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कॉलोनी
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :- जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र धारचूला के दोबांट रांथी हल्का वाहन मार्ग के निर्माण हेतु 5.175 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (FP/UK/ROAD/67235/2021)

सन्दर्भ :- भारत सरकार, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून का पत्रांक 8बी/यू०सी०पी०/०६/११९/२०२१/एफ०सी०/४३९ दिनांक ३०.०६.२०२३.

महोदय,

विषयगत मोटर मार्ग के सम्बन्ध में भारत सरकार, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून द्वारा उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के माध्यम से लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण करते हुए प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़ द्वारा अपने पत्रांक 904/12-1 दिनांक 19.08.2023 के माध्यम से इस कार्यालय को प्रकरण प्रेषित किया है, जिसकी 03 प्रतियां मूल में संलग्न कर आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित की जा रही हैं।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(प्रसन्न कुमार पात्रो)

मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा



कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा

Email : cfkumaon_north@rediffmail.com , (05962) 231099 Fax : 230397

पत्रांक - 819 / 12-1-0 अल्मोड़ा, दिनांक - 20-09-2023.



सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कॉलोनी
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :- जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र धारचूला के दोबांट रांथी हल्का वाहन मार्ग के निर्माण हेतु 5.175 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (FP/UK/ROAD/67235/2021)

सन्दर्भ :- भारत सरकार, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून का पत्रांक 8बी/यू०सी०पी०/०६/११९/२०२१/एफ०सी०/४३९ दिनांक 30.06.2023.

महोदय,

विषयगत मोटर मार्ग के सम्बन्ध में भारत सरकार, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून द्वारा उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के माध्यम से लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण करते हुए प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़ द्वारा अपने पत्रांक 904/12-1 दिनांक 19.08.2023 के माध्यम से इस कार्यालय को प्रकरण प्रेषित किया है, जिसकी 03 प्रतियां मूल में संलग्न कर आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित की जा रही हैं।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(प्रसन्न कुमार पात्रो)

मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा

EP 2023

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

E-mail: dfopith-forest-uk@nic.in; Fax/☎ 05964-225234

पत्रांक 904 /12-1

दिनांक, पिथौरागढ़, 19 अगस्त, 2023।

में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषय:-

जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र धारचूला के दोबांट रांथी हल्का वाहन मार्ग के निर्माण हेतु 5.175 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (Online No FP/UK/ROAD/67235/2021)

संदर्भ:-

भारत सरकार के पत्र सं० 8बी/यू०सी०पी०/०६/११९/२०२१/एफ०सी/४३९ दिनांक ३०.०६.२०२३।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में आख्या निम्नवत प्रेषित है।

क्र. सं०	लगाई गई आपत्ति	आपत्ति का निराकरण
1	The State Govt. should provide the documents related to earlier approval that was informed to have been accorded in the year 1995.	विषयक प्रकरण के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रभागीय कार्यालय रिकार्ड में संधारित सूचना के अनुसार भारत सरकार के आदेश सं० 8बी/०९/७११/९४/एफ०सी०/१४२९ दिनांक ०९.११.१९९५ तथा उ०प्र० शासन का पत्रांक जी०आई० ४०५/१४-२-९५-६००(४८)/१९९४ दिनांक ०३.०१.१९९६ द्वारा रांथी तक हल्के वाहन मार्ग नाम से स्वीकृति प्राप्त है। उक्त आदेशों की छायाप्रति संलग्न कर अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
2	The DFO shall inspect the CA area and submit a report regarding suitability of the site for planting 1000 tree per ha.	सी०ए० हेतु नवीन क्षेत्र चयनित किया गया है। उक्त से सम्बन्धित समस्त प्रपत्र/मानचित्र पूर्व में इस कार्यालय की पत्र सं० ६४५१/१२-१ दिनांक ०८.०५.२०२३ द्वारा प्रेषित किये गये हैं।
3	The concerned DFO shall certify that the existing proposal includes the width of the existing road for which approval was accorded in the past.	उक्त प्रस्ताव में मार्ग निर्माण हेतु प्रस्तावित ०९ मी० चौड़ाई में पूर्व से स्वीकृत चौड़ाई सम्मिलित है।
4	The muck dumping point near the Nallah shall be shifted to an appropriate site on non-forest land having lesser to moderate slope to avoid the rolling down of the muck or alternatively the area of second site selected for muck dumping be extended to accommodate excess muck which was to be accommodated in the first site.	प्रस्तावक विभाग द्वारा मक डम्पिंग हेतु चयनित दूसरी साइट को extend करके मलवा निस्तारण का प्लान पुनः गठित किया गया है, जिसे पार्ट-१ में प्रस्तावक विभाग द्वारा अपलोड कर दिया गया है।

संलग्न:- यथोक्त।

भवदीय

(जीवन मोहन दगाड़े)
प्रभागीय वनाधिकारी,

पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।